<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।</u>

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 01/11/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 31.10.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

<u>01. आदरणीय महोदय सराहनीय कार्य जनपद गाजीपुर</u>

<u>“मिशन शक्ति” अभियान फेज-05 एवं ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत नारी सुरक्षा,सम्मान एवं स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा प्रभावी तथा सशक्त पैरवी करते हुए बालिका के साथ हुए क्रूर अपराध के अभियुक्त को कठोरतम सजा माननीय न्यायालय द्वारा कराई गई ।</u>

“श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000/-रू0 अर्थदण्ड की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई सजा ।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 31.10.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना सैदपुर पर मु0अ0सं0-149/23 धारा 376डी0, 506भादवि एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 1. अभियुक्त वीरू उर्फ बृजेश पुत्र नागेन्द्र राम निवासी अमिरहा थाना सैदपुर को धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 12 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000/-रू0 अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।

<u>2. थाना कासिमाबाद पुलिस द्वारा महिलाओ को देखकर अश्लील गाने व टिप्पणी करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।</u>

“मिशन शक्ति” अभियान फेज-05 के अंतर्गत नारी सुरक्षा,सम्मान एवं स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवम् अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दि0 31.10.2025 को उ0नि0 भाईलाल मय हमराह द्वारा कासिमाबाद चौराहे के पास चेकिंग के दौरान प्राप्त सूचना पर कि एक व्यक्ति जो बैंक आफ इण्डिया के पास खड़ा होकर आने जाने वालो महिलाओ को देखकर अश्लील गाने व टिप्पणी कर रहा है। जिससे आने जाने वाली महिलाए मुख घुमाकर निगाह नीचे कर आ जा रही हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए अभियुक्त राज चौहान पुत्र रविन्द्र चौहान नि0 ग्राम सिधउत थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 23 वर्ष को बैंक आफ इण्डिया कासिमाबाद से गिरफ्तार किया गया जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 400/25 धारा 296 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

राज चौहान पुत्र रविन्द्र चौहान नि0 ग्राम सिधउत थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 23 वर्ष

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास—

मु0अ0सं0 400/25 धारा 296 बीएनएस

3. थाना कासिमाबाद पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 210/25 धारा 333, 64(1),351(3) बीएनएस व 3(2)V SC/ST Act में वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों/वांछित/वारण्टी अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत उ0नि0 हीरामणि दुबे मय हमराह द्वारा थाना कासिमाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 210/25 धारा 333, 64(1),351(3) बीएनएस व 3(2)V SC/ST Act में वांछित चल रहा अभि0 बुलेन्दर बिन्द पुत्र सन्तोष बिन्द निवासी ग्राम सहाबलपुर थाना कासिमाबाद को दिनांक 31.10.2025 को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया ।गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जा रहा है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1. बुलेन्दर बिन्द पुत्र सन्तोष बिन्द नि0ग्राम सहाबलपुर थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 210/25 धारा 333, 64(1),351(3) बीएनएस व 3(2)V SC/ST Act थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

4. साइबर सेल जनपद गाजीपुर द्वारा “साइबर जागरूकता अभियान” के अंतर्गत थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत पी0जी0 कालेज व अन्य स्थानों पर साइबर फ्रॉड, डिजीटल ठगी व डिजीटल अरेस्ट इत्यादि से सुरक्षा व बचाव के संदर्भ में गीत/कविता व नुक्कड नाटक के माध्यम से नागरिकों को किया गया जागरूक !

इसी के क्रम में ही श्रीमान् पुलिस अधीक्षक व अपर पुलिस अधीक्षक नगर/ नोडल अधिकारी साइबर क्राइम के नेतृत्व में जनपदीय साइबर सेल प्रभारी मय टीम व रिक्रूट आरक्षियों के द्वारा डिजीटल अरेस्ट से सुरक्षा व बचाव के संदर्भ में एक नुक्कड नाटक के माध्यम से भी नागिरकों को जागरूक किया गया।

साइबर मुख्यालय लखनऊ उ0प्र0 के निर्देशन में तथा उच्चाधिकारीगण के आदेश/निर्देश के क्रम में माह अक्टूबर में National Cyber Security Awareness Month (NCSAM) के रूप में मनाया जा रहा है–

आज दिनांक 31.10.2025 को साइबर सेल पुलिस टीम द्वारा साइबर जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनपदीय साइबर सेल प्रभारी मय टीम व रिक्रूट आरक्षियों के द्वारा डिजीटल अरेस्ट से सुरक्षा व बचाव के संदर्भ में जनपद के मुख्य मुख्य स्थानों/चौराहों व सार्वजनिक जगहों पर नुक्कड नाटक तथा साइबर जागरूकता गीत/कविता के माध्यम से भी नागरिकों को जागरूक किया गया। साइबर जागरूकता -नुक्कड नाटक/साइबर जागरूकता गीत/कविता के व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हेतु मीडिया पर्सनल भी मौजूद रहे।

उक्त कार्यक्रम को सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर लाइव भी किया गया जिसे लगभग 10,000 लोगों द्वारा देखा गया व अपलोडेड कंटेन्ट को विभिन्न यूजर्स द्वारा निरंतर देखा जा रहा है।
LINK: https://www.facebook.com/share/v/15We4X5MFD/

नागरिकों को साइबर अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति किया गया जागरूक, लोगों को साइबर अपराध से बचने के उपाय , साईबर हेल्पलाइन 1930 तथा साइबर धोखाधड़ी हो जाने के बाद क्या करना है, इस बारे में बताते हुए पम्पलेट वितरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर